परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण ADB.org पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 पर आधारित है।

ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशियाई विकास बैंक

भारत : स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम – भाग 2

परियोजना का नाम	स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम – भाग 2
परियोजना की संख्या	40156-033
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	अनुमोदित
परियोजना प्रकार/ सहायता की विधि	ऋण
निधीयन का स्रोत/राशि	**ऋण 3549- भारतः स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम – भाग 2** साधारण पूंजी संसाधन — यूएस डॉलर 65.50 मिलियन
रणनीतिक कार्यसूची	पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	ज्ञान समाधान निजी क्षेत्र विकास

सेक्टर/उप–सेक्टर	**कृषि, प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण विकास –** जल–आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कुछ लैंगिक तत्व
विवरण	स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम चट्टानों, तट सम्पोषण तथा टीला प्रबंधन जैसे मृदुतर विकल्पों पर फोकस के साथ पर्यावरण तथा सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त समाधानों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक तटीय संरक्षण जरूरतों और तटीय अस्थिरता पर ध्यान देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तटीय रेखा को अपरदन से संरक्षित करना भी है और ऐसा करने से तटीय समुदायों के लिए आय जनन के अवसर भी बढ़ जाते हैं। भाग 2 से नौ उपपरियोजनाओं को सहायता दी जाएगी जिनमें तटीय अपरदन की मध्यम से गंभीर समस्याओं के संबोधन हेतु डिजाइन की गई छह तटीय संरक्षण परियोजनाएं और न्यून अपरदन के क्षेत्रों हेतु तीन सामुदायिक उपपरियोजनाएं शामिल हैं, जिनके परिणामस्वरूप कर्नाटक में लगभग 54 किलोमीटर तटरेखा का संरक्षण किया जा सकेगा। गतिविधियों में शामिल होंगे : (i) तात्कालिक तटीय संरक्षण जरूरतों का संबोधन ; (ii) क्षमता निर्माण और संस्थानिक विकास ; (iii) तट के चुनिंदा खंडों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रतिरूपण तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य ; तथा (iv) चुनिंदा कर्नाटक पुलिनों के बालू अभाव के मुद्दों के आकलन के लिए डिजाइन किया गया व्यापक निकट तट समुद्र तल बालू संसाधन विश्लेषण। यह निष्पादक एजेन्सी को तटीय योजना एवं प्रबंधन के विषय में दीर्घकालीन गतिविधियों पर मजबूत बनाने हेतु सहायता जारी रखेगा जो परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद जारी रहेगा।
परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	तटीय अपरदन भूमि, मकानों, आधारसंरचना तथा व्यवसाय अवसरों को क्षति का जिम्मेदार है; तथा मानव कल्याण, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकीय अक्षुण्णता के लिए उच्च जोखिम पैदा करता है। हर वर्ष, 400 हेक्टेयर भूमि, 75,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र और 34,000 आवासीय मकान तथा/अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान तटीय अपरदन के कारण नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आगामी वर्षों में यह प्रभाव और भी अधिक व्यापक एवं विस्तृत होगा, क्योंकि तटरेखा पर आर्थिक विकास का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिनमें अनेक पहले से विक्षुब्ध प्राकृतिक तटीय पर्यावरण के लिए प्रतिकूलता एवं दबाव पैदा करते हैं। ग्रामीण तटवर्ती समुदाय इस अपरदन और घटिया तटीय प्रबंधन के प्रभावों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तेजी से विकसित हो रहे कई भारतीय शहरी क्षेत्र भी तटीय अपरदन के प्रति सुभेद्य हैं; उदाहरण के लिए मुंबई इसकी प्रमुख तटवर्ती सम्पत्ति के कुछ अंश को बचाने मात्र के लिए बड़े कार्यों पर लगभग 2.5 मिलियन प्रति किलोमीटर की लागत वहन करती है। भारत में तटीय संरक्षण रणनीति का लक्ष्य भूमि और समग्र आर्थिक विकास का संरक्षण करना है। पुलिन तथा पर्यावरण संरक्षण अपेक्षाकृत नई अवधारणाएं हैं। तटीय संरक्षण के लिए बहुधा अपनाई गई विधियों में कठोर संरचनाओं जैसेकि समुद्रीकूप अथवा पुलिन–रोध का उपयोग शामिल रहा है। तटीय अपरदन के प्रबंधन हेतु दीर्घकालीन योजनाएं उपलब्ध हैं। तथापि, संसाधनों की कमी के चलते उपायों का लक्ष्य अधिक सुभेद्य तट खण्डों तक तथा स्थानीय आपात उपायों तक सीमित रहता है। ऐसे हस्तक्षेपों से अधिकतर भूमि संरक्षण ही उपलब्ध होता है। समुद्रकूप तथा पुलिन–रोध अधिमानित उपाय बने हुए हैं, यद्यपि आवश्यक नहीं कि उनसे मूल समस्या संबोधित होती है। जबकि मानव–प्रेरित गतिविधियों के विस्तार तथा समुद्र तल में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है, अतः तटीय संरक्षण के लिए स्थायी समाधान खोजने की सख्त जरूरत है। विश्व भर में तटीय अपरदन जारी रहने के परिणामस्वरूप कारगर और अबाधित तटरेखा और निकट तट

नियंत्रण के लिए नवप्रवर्तनकारी तकनीकों का विकास एवं संस्थापन किया जा रहा है। मृदुतर विकल्पों जैसेकि पुलिन पोषण, टिब्बा प्रबंधन अथवा कृत्रिम भित्ति द्वारा पारम्परिक कठोर चट्टान संरक्षण के प्रतिस्थापन अथवा संशोधन के उदाहरण बढ़ रहे हैं। यह निवेश कार्यक्रम पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त और स्थायी समाधानों पर फोकस के साथ मृदुतर समाधानों हेतु बदलाव सुकर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

तटीय प्रक्षेप से तटीय अर्थव्यस्था को होने वाले लाभ अनेक हैं। तटीय अपरदन की रोकथाम और पुलिन संरक्षण तथा समीपवर्ती भूमि के संरक्षण के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेपों से बंदरगाह परिचालक तथा उपयोगकर्ता, मत्स्यपालक, पर्यटन परिचालक, पुलिन उपयोगकर्ता, किसान और अन्य सम्पत्ति स्वामी तथा तट के निकट रहने वाले अथवा तट पर आश्रित स्थानीय समुदाय लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त, नई प्रौद्योगिकियों के प्रवेश और विकास के पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव चट्टानी दीवारों, जो कि पारंपरिक समाधान हैं, के मुकाबले कमतर होंगे। जब समाधानों में कृत्रिम भित्तियों का निर्माण शामिल किया जाता है, तब पुलिनों, भूमि तथा पुलिनों के पीछे सम्पत्ति, पर्यटन तथा शिल्पी मात्स्यिकी को लाभ पहुंचता है क्योंकि भित्तियां मछलियों और अन्य समुद्री प्रजातियों को प्राकृतिक वास मुहैया कराती हैं। तटीय संरक्षण के लिए इन नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के फलस्वरूप न केवल तट संरक्षण का समाधान होता है अपितु प्रभावित क्षेत्रों के निकट रहने वाले समुदायों के लिए आय बढ़ाने के अवसर बढ़ते हैं।

प्रभाव	कर्नाटक के उप–परियोजना क्षेत्रों में तटीय समुदायों की आय और गरीबी स्थिति में सुधार (निवेश कार्यक्रम द्वारा परिभाषित)

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	कर्नाटक में तटरेखाएं सुरक्षित और प्रबंधित।

परिणाम की दिशा में प्रगति

कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का विवरण	तटीय अपरदन और अस्थिरता उपशमन संरचनाएं निर्मित अथवा समुन्नत। एकीकृत तटरेखा योजना तथा विकास हेतु क्षमता में बढ़ोतरी।

कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)

भौगोलिक अवस्थिति

संरक्षा संवर्ग

पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ग
स्वदेशी लोग	ग

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण पहलू	परियोजना 2, एडीबी एसपीएस 2009 के अनुसार, पर्यावरण हेतु "_ख_" परियोजना संवर्ग में रखी गई थी। आरंभिक पर्यावरण परीक्षा (आईईई) तथा इसकी पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), जिसमें अनुवीक्षण योजना शामिल है, परियोजना तैयारी के दौरान तैयार की गई थी। आईईई रिपोर्ट की सिफारिशें ईए के माध्यम से कार्यान्वित करना सरकार का दायित्व है। एडीबी एसपीएस 2009 के अनुपालन की सुविधा की अपेक्षा के संबंध में, सरकार ने राज्य निष्पादक अभिकरण के माध्यम से निम्नलिखित सुरक्षोपाय संरचना दस्तावेज अद्यतन किए हैं तथा एडीबी को उपलब्ध कराए हैं : (i) पर्यावरण आकलन और समीक्षा ढांचा (ईएआरएफ) ; (ii) पुनर्वास ढांचा (आरएफ); तथा (iii) स्वदेशी लोग योजना ढांचा (आईपीपीएफ)।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	परियोजना 2 के लिए किसी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। परियोजना 2 एडीबी एसपीएस 2009 के अनुसार दोनों प्रकार के सामाजिक सुरक्षोपायों : अस्वैच्छिक पुनर्वास (आईआर) तथा स्वदेशी लोगों पर प्रभाव (आईपी) हेतु 'ग' संवर्ग में रखी गई है।
स्वदेशी लोग	गरीबी तथा सामाजिक आकलन अध्ययन से पुष्टि होती है कि परियोजना क्षेत्रों में स्वदेशी लोग अथवा अनुसूचित जनजातियां मौजूद नहीं हैं।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान	फरवरी, 2013 और दिसम्बर, 2014 के बीच, भाग 2 संरचनाओं के डिजाइन पहलू के संबंध में लोक परामर्श, तीन विशिष्ट हितधारकों के साथ निष्पादित किया गया था नामतः (i) समुदाय ; (ii) ग्राम पंचायतें (जीपी'ज) ; तथा (iii) जिला पदाधिकारीगण। आरंभिक परामर्श बैठकें समुदाय स्तर पर प्रस्तावित परियोजना स्थलों पर या उसके निकट आयोजित की गई थीं। इसमें तटीय अपरदन स्थिति और प्रस्तावित तकनीकी डिजाइन पर स्थानीय भाषा में प्रस्तुतियां शामिल थीं। स्थानीय भाषा में मुद्रित विवरणिका भी वितरित की गई थी। सामुदायिक स्तर पर प्रतिभागियों में मत्स्य–पालक, मछली विक्रेता, किसान, छोटे व्यापारी, युवा मंडलों तथा प्रार्थना हॉल्स के सदस्य शामिल थे। इसके उपरान्त ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्वाचित सभा सदस्यों तथा पदाधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया गया। ग्राम पंचायतें समस्त उप–परियोजना परामर्शों के लिए अभिसरण सूत्र मानी गईं। कुछ प्रख्यात नागरिक जैसेकि मत्स्यपालन संघ के पदाधिकारी, सेवानिवृत्त स्कूल अध्यापक, भूतपूर्व वार्ड सदस्य भी इन बैठकों में आमंत्रित किए गए थे। तदुपरान्त जिला कलक्टर द्वारा एक आम बैठक (कभी कभी दो या अधिक) आयोजित की गईं। ये बैठकें आमतौर पर बड़ी थीं तथा प्रत्येक बैठक में 50 से 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इन बैठकों में भाग लेने वालों में विभागीय पदाधिकारी, राजनीतिक प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल थे। इन बैठकों के अंत में, टीम ने हितधारकों से विशेष रूप से डिजाइन के संबंध में उनकी चिन्ताओं तथा आशंकाओं के बारे में पूछा। उनसे प्राप्त सुझाव अंतिम डिजाइन में सम्मिलित किए गए।
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान	लोक परामर्श तथा प्रकटीकरण कार्यक्रम उपपरियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एक सतत प्रक्रिया बनी रहेगी।

व्यवसाय के अवसर

परामर्शी सेवाएं	समस्त परामर्शी सेवाएं परामर्शदाताओं के उपयोग के संबंध में एडीबी के दिशानिर्देश (2013 समय समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार प्राप्त की जाएंगी। मूल परामर्शिता परियोजना प्रबंधन तथा डिजाइन परामर्शदाता के लिए है। परामर्शिता सेवाओं की आवश्यकता 198 व्यक्ति–माह (38 अंतर्राष्ट्रीय, 160 राष्ट्रीय) के लिए है। परामर्शदाताओं की नियुक्ति गुणवत्ता तथा लागत आधारित चयन विधि के उपयोग द्वारा की गई है तथा संचालित की जा चुकी है।
अधिप्राप्ति	सामग्री तथा कार्यों के समस्त प्रापण की योजना एडीबी के प्रापण दिशानिर्देश (2013 समय समय पर संशोधितानुसार) बनाई जाएगी। 40 मिलियन डॉलर से कम लागत के कमतर जटिल सिविल कार्यों का प्रापण राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान के माध्यम से किया जाएगा। इसमें 5 पैकेज होंगे जिनके कार्यों में : जियोबैग्स, रॉक रिवेटमेंट, पौधारोपण तथा तट सम्पोषण शामिल होंगे जिनका कुल मूल्य 38.0 मिलियन डॉलर होगा। 40 मिलियन डॉलर से कम लागत की अधिक जटिल सिविल कार्य संविदाएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। इसमें 3 पैकेज होंगे जिनमें ग्रोयन्स, ऑफशोर रीफ तथा तट सम्पोषण शामिल होंगे जिनका कुल मूल्य 31.9 मिलियन डॉलर होगा। सभी 8 पैकेजों के लिए एकल–चरण दो–लिफाफा पद्धति के तहत उत्तर योग्यता के साथ एडीबी मानक बोलीदान दस्तावेजों का प्रयोग किया

जाएगा। 8 सिविल कार्य पैकेजों में से छह के लिए निविदा जारी की जा चुकी है। इनमें से लगभग 32 मिलियन डॉलर मूल्य के 3 पैकेज प्रदान किए जा चुके हैं, लगभग 15.7 मिलियन डॉलर मूल्य के दो पैकेज शीघ्र ही प्रदान किए जाएंगे और लगभग 0.30 मिलियन डॉलर मूल्य के एक पैकेज के लिए फिर–बोलीदान किया जाएगा। 21.9 मिलियन डॉलर मूल्य के शेष दो पैकेज हेतु शीघ्र ही विज्ञापित किया जाना है तथा दिसम्बर, 2017 तक अधिनिर्णय की आशा की जाती है।

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	यादव, राजेश
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	भारत निवासी मिशन
निष्पादक अभिकरण	**पब्लिक वर्क्स, पोर्ट्स एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट** PRS-PWD@KARNATAKA.GOV.IN तृतीय तल, विकासा सौधा बैंगलोर–560 001 कर्नाटक, भारत

समयसारणी

अवधारणा मंजूरी	-
तथ्य अन्वेषण	-
एमआरएम	08 जून 2016
अनुमोदन	27 जुलाई 2017
अंतिम पुनरीक्षा मिशन	-

अंतिम पीडीएस अद्यतन 01 अगस्त 2017

ऋण 3549-भारत

मील के पत्थर

अनुमोदन	हस्ताक्षर की तिथि	प्रभाविता तिथि	अनुमोदन समापन		
			मूल	संशोधित	वास्तविक
27 जुलाई 2017	-	-	28 सितम्बर 2020	-	-

वित्तपोषण योजना

	कुल (राशि यूएस डॉलर मिलियन में)
परियोजना लागत	93.54
एडीबी	65.50
प्रतिपक्ष	28.04

ऋण उपयोगिता

तिथि	एडीबी	अन्य	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार			
27 जुलाई 2017	0.00	0.00	0%
संचयी संवितरण			

सहवित्तपोषण	0.00	27 जुलाई 2017	0.00	0.00	0%

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हैः क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक संस्करण में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्त्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।